अंतिम–डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर०ए०एस)

प्रकरण संख्या– 45/2021

जीसीएमएस– 2021/188

दायर दिनांक– 01.11.2021

निर्णय दिनांक– 12.08.2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री प्रवीण चौधरी पुत्र श्री मेघराज चौधरी जाति जाट निवासी इमली मोहल्ला, छोटी बस्ती, तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री बीरमसिंह जाति रावत 2. श्री ज्ञानसिंह पुत्र श्री भंवरलाल जाति रावत 3. श्री नानूसिंह पुत्र श्री भंवरलाल जाति रावत 4. श्रीमती नानी देवी पुत्री श्री भीया जाति रावत 5. श्री बीरमसिंह पुत्र श्री भीया जाति रावत 6. श्रीमती रमती पत्नी श्री भंवरलाल जाति रावत 7. श्रीमती सोहनी पुत्री श्री भंवरलाल जाति रावत 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर

वाद–पत्र अंतर्गत धारा 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– **1.श्री एस0के0चौधरी, अधिवक्ता, वादी।**

2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की सहखातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजीयात ग्राम गनाहेड़ा पटवार हल्का गनाहेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुष्कर तहसील पुष्कर में अवस्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

खाता संख्या नया/पुराना	खसरा नंबर	रकबा (हैक्ट0)	किस्म
1047/1008	343	0.65	चाही 1

उपरोक्त वर्णित विवादग्रस्त आराजी भूमि में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व वादी का हिस्सा संयुक्त खातेदारी में अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 पृथक–पृथक व वादी का हिस्सा 243/1300 हिस्सा निहित करता है तथा वादी के हिस्से की आराजी पर मौके पर तारबंदी बनी हुई है। वादग्रस्त आराजी का आज दिनांक तक

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:21 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त आराजी पर शामलात रूप से कृषि किया जाना संभव नही है क्योंकि मौके पर वादग्रस्त आराजीयात को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है अतः वादी द्वारा उक्त भूमि का उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाय मिंटस एंड बांउडस विधिक विभाजन किया जाकर तदानुसार मौके एवं राजस्व रिकार्ड में पालना करवायी जाने की घोषणात्मक आज्ञाप्ति हेतु यह वाद–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर वादी के वाद–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में दिनांक 14.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 11.04.2022 को वादी प्रवीण चौधरी पुत्र मेघराज चौधरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र बाबत् बयान पेश किया गया, जिसे शामिल मिसल किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 06.06.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्रांक/तह.पु/भू.अ./न्याय/2022/1908 दिनांक 19.07.2022 के माध्यम से कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा रंग भरकर पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तावित बंटवारानामा की सूचना वादी अभिभाषक (समस्त प्रतिवादीगण के खिलाफ पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई) को प्रदान कर पत्रावली को आवश्यक कार्यवाही/अंतिम बहस हेतु दिनांक 25.04.2022 को तलब किया गया। वादी अभिभाषक द्वारा तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तावित बंटवारानामा पर सहमति जाहिर कर अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

हमने वादी अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की उपस्थिति में बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा गनाहेड़ा पटवार हल्का गनाहेड़ा की आराजीयात खाता संख्या 1047 के खसरा नंबर 343 रकबा 0.65 हैक्ट0 वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, का विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार तहसीलदार पुष्कर के संलग्न नक्शा ट्रेस व मौका पर्चा (कुर्रेजात रिपोर्ट) अनुसार बने निम्न प्रकार के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

क्रम सं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा (हैक्ट0)	किस्म	नक्शे में रंग
1.	प्रवीण चौधरी पुत्र मेघराज चौधरी जाति जाट हिस्सा पूर्ण सा. इमली मौहल्ला, पुष्कर जिला अजमेर।	343/1	0.1215	चाही 1	हरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:21 IST
Reason: SelfAttested

12.9.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

	कुल	किता 1	0.1215	—	—
2.	चम्पादेवी पत्नी बीरमसिंह जाति रावत हिस्सा 4201 / 5285	343 / 2	0.5285	चाही 1	नारंगी
	ज्ञानसिंह पुत्र भंवरलाल जाति रावत हिस्सा 113 / 5285				
	नानूसिंह पुत्र भंवरलाल जाति रावत हिस्सा 113 / 5285				
	नानीदेवी पुत्री भीया जाति रावत हिस्सा 180 / 5285				
	बीरमसिंह पुत्र भीया जाति रावत हिस्सा 452 / 5285				
	रमती पत्नी भंवरलाल जाति रावत हिस्सा 113 / 5285				
	सोहनी पुत्री भंवरलाल जाति रावत हिस्सा 113 / 5285				
	कुल	किता 1	0.5285	—	—

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 12.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

12.8.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:21 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा—डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी — श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या— 45 / 2021

जीसीएमएस— 2021 / 188

दायर दिनांक— 01.11.2021

निर्णय दिनांक— 12.08.2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री प्रवीण चौधरी पुत्र श्री मेघराज चौधरी जाति जाट निवासी इमली मोहल्ला, छोटी बस्ती, तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री बीरमसिंह जाति रावत 2. श्री ज्ञानसिंह पुत्र श्री भंवरलाल जाति रावत 3. श्री नानूसिंह पुत्र श्री भंवरलाल जाति रावत 4. श्रीमती नानी देवी पुत्री श्री भीया जाति रावत 5. श्री बीरमसिंह पुत्र श्री भीया जाति रावत 6. श्रीमती रमती पत्नी श्री भंवरलाल जाति रावत 7. श्रीमती सोहनी पुत्री श्री भंवरलाल जाति रावत 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर

वाद—पत्र अंतर्गत धारा 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति— 1.श्री एस0के0चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

—:: अंतिम डिक्री मुकदमा इबताई::—

वादीगण का वाद बाबत् बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा को संलग्न नक्शा ट्रेस व (कुर्रेजात रिपोर्ट) के आधार पर स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की जाती है। विभाजन आराजीयात को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर के खाता संख्या 1095 के लिए विभाजन निम्नानुसार है—

क्रम सं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा (हैक्ट0)	किस्म	नक्शे में रंग
1.	प्रवीण चौधरी पुत्र मेघराज चौधरी जाति जाट हिस्सा पूर्ण निवासी इमली मौहल्ला, पुष्कर जिला अजमेर		0.1215	चाही 1	हरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:21 IST
Reason: SelfAttested

12.8.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

	कुल	किता 1	0.1215	—	—
2.	चम्पादेवी पत्नी बीरमसिंह जाति रावत हिस्सा 4201/5285	343/2	0.5285	चाही 1	नारंगी
	ज्ञानसिंह पुत्र भंवरलाल जाति रावत हिस्सा 113/5285				
	नानूसिंह पुत्र भंवरलाल जाति रावत हिस्सा 113/5285				
	नानीदेवी पुत्री भीया जाति रावत हिस्सा 180/5285				
	बीरमसिंह पुत्र भीया जाति रावत हिस्सा 452/5285				
	रमती पत्नी भंवरलाल जाति रावत हिस्सा 113/5285				
	सोहनी पुत्री भंवरलाल जाति रावत हिस्सा 113/5285				
	कुल	किता 1	0.5285	—	—

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 12.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

12.8.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर०ए०एस)

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:21 IST
Reason: SelfAttested